भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2614

मंगलवार, 04 अगस्त, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

ईरोड की जीआई-टैग वाली हल्दी

2614. श्री के. ई. प्रकाश:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मौजूदा खरीफ मौसम के दौरान ईरोड की जीआई-टैग वाली हल्दी के उत्पादन, बाजार में आवक समयावधि और मूल्य प्रवृत्तियों का कोई आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या जलवायु संबंधी परिस्थितियों और उत्पादन संबंधी बाधाओं से प्रभावित तमिलनाडु के किसानों सहित हल्दी उत्पादन करने वाले किसानों की सहायता के लिए चल रही केंद्रीय योजनाओं के अंतर्गत कोई वित्तीय या तकनीकी सहायता प्रदान की जा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केंद्र सरकार के पास ईरोड और अन्य उत्पादक क्षेत्रों में हल्दी उत्पादकों के लिए फसल-कटाई उपरांत अवसंरचना, मूल्यवर्धन, भंडारण, निर्यात सुविधा और बाजार संपर्कों को सुदृढ़ करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या हल्दी किसानों के लिए मूल्य स्थिरीकरण, बाजार संबंधी सजगता और जोखिम-प्रबंधन सहायता में सुधार करने हेतु किन्हीं उपायों पर विचार किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क): जी नहीं। हालांकि, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार हाल के वर्षों के दौरान देश में हल्दी के क्षेत्र और उत्पादन में वृद्धि की देखी गई है। कुल मिलाकर, अनुकूल जलवायु परिस्थितियां, कीटों और रोगों के प्रकोप में कमी ने उत्पादन में वृद्धि को सहयोग प्रदान किया है। इसके अलावा, हल्दी की प्रचलित उच्च बाजार कीमतों ने किसानों को इसकी खेती के लिए अधिक क्षेत्र का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया है, जिससे हल्दी उत्पादन में तदनुरूप वृद्धि हुई है। तमिलनाडु में पिछले पांच वर्षों में हल्दी की वार्षिक औसत कीमत निम्नानुसार है:

प्रमुख उत्पादक राज्यों में हल्दी की वार्षिक औसत कीमतें (कीमत रुपए/क्विंटल में)		
क्रम सं.	**वर्ष**	**तमिलनाडु - इरोड**
1	2021-22	7173
2	2022-23	6774
3	2023-24	9582
4	2024-25	14341
5	2025-26	12173

(ख): कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति (एनपीडीएम) के तहत अधिसूचित आपदाओं के आने पर मुख्य रूप से राज्य सरकार जमीनी स्तर पर आवश्यक राहत प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है। राज्य सरकारें भारत सरकार द्वारा अनुमोदित मदों और मानदंडों के अनुसार राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) के रूप में उपलब्ध निधि से प्राकृतिक आपदाओं के आने पर राहत कार्य करती हैं। 'गंभीर प्रकृति' की आपदा के मामले में, एसडीआरएफ के अलावा अतिरिक्त वित्तीय सहायता के लिए, निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, जिसमें एक अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय दल (आईएमसीटी) के दौरे के आधार पर मूल्यांकन शामिल है, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) से वित्तीय सहायता पर विचार किया जाता है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के तहत प्रदान की गई वित्तीय सहायता मुआवजे के लिए नहीं बल्कि राहत के लिए है। एसडीआरएफ/एनडीआरएफ के तहत राज्यों को आबंटित और जारी की गई निधियों का विवरण, गृह मंत्रालय के आपदा प्रबंधन प्रभाग की वेबसाइट अर्थात **ndmindia.mha.gov.in** पर उपलब्ध है।

इसके अलावा, सरकार ने 2016 की खरीफ की फसल से किसानों को प्राकृतिक आपदाओं, प्रतिकूल मौसम संबंधी घटनाओं आदि के कारण फसल की होने वाली हानि/बर्बादी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने और किसानों की आय को स्थिर करने के लिए उपज आधारित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) और मौसम सूचकांक आधारित पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा स्कीम (आरडब्ल्यूबीसीआईएस) शुरू की है। पीएमएफबीवाई संबंधित राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित फसलों और क्षेत्र के लिए फसल की बुवाई पूर्व से लेकर फसल कटाई के बाद तक फसल खराब होने पर उसके लिए व्यापक जोखिम बीमा प्रदान करता है। यह स्कीम न केवल बाढ़, जलप्लावन, भूस्खलन, सूखा, लू, ओलावृष्टि, चक्रवात, कीट/रोग, प्राकृतिक आग और बिजली गिरने, तूफान, टाइफून, टेम्पेस्ट, हुरिकेन,

टोरनेडो आदि जैसे अपरिहार्य प्राकृतिक जोखिमों और चरम जलवायु आपदाओं के कारण व्यापक उपज हानि से सुरक्षा प्रदान करती है, बल्कि स्थानीय जोखिमों (ओलावृष्टि, भूस्खलन, जलप्लावन, बादल फटने और प्राकृतिक आग) के कारण खेती के स्तर पर उपज की होने वाली हानि और चक्रवात, चक्रवाती/बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के कारण फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान और बुवाई न हो पाने की स्थिति से भी सुरक्षा करती है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) कृषि में जलवायु अनुकूलन को सुदृढ़ करने और देश भर में जलवायु अनुकूल कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए एक प्रमुख नेटवर्क परियोजना राष्ट्रीय जलवायु अनुकूल कृषि में नवप्रयोग (एनआईसीआरए) का कार्यान्वयन करती है।

(ग) और (घ): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) का विभिन्न पहलों और स्कीमों जैसे प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई), प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज (पीएमएफएमई) और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन स्कीम (पीएलआईएसएफपीआई) के कार्यान्वयन के माध्यम से खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के समग्र विकास का लक्ष्य है। उपरोक्त स्कीमों के विभिन्न घटकों के तहत, एमओएफपीआई खेत से खुदरा दुकान तक कुशल आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के साथ आधुनिक अवसंरचना निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। बनाई गई अवसंरचना और प्रदान की गई सहायता का उद्देश्य कृषि उत्पादों की शेल्फ-लाइफ में सुधार करना, किसानों को बेहतर लाभ प्रदान करना, रोजगार के अवसर सृजित करना, बर्बादी और कटाई के बाद की हानि कम करना, प्रसंस्करण के स्तर को बढ़ाना और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के निर्यात को बढ़ाना है।

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय फसल कटाई के बाद प्रबंधन, लॉजिस्टिक्स, भंडारण और मूल्य संवर्धन को मजबूत करने हेतु कई उपायों/स्कीमों को भी लागू करता है। कृषि विपणन अवसंरचना (एएमआई) स्कीम के तहत, पिछले दस वर्षों में 369.18 लाख मीट्रिक टन की भंडारण क्षमता वाली 12,353 भंडारण अवसंरचना परियोजनाओं और 6,901 गैर-भंडारण परियोजनाओं को अनुमोदन प्रदान किया गया है। कृषि अवसंरचना निधि (एआईएफ) के तहत ब्याज में छूट संबंधी सहायता 18,893 गोदामों, 3,110 कोल्ड स्टोरेज/कोल्ड चेन परियोजनाओं और 2,105 एकीकृत प्राथमिक और माध्यमिक प्रसंस्करण इकाइयों तक विस्तारित की गयी है। एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) घटक के तहत, पैक हाउस, कोल्ड स्टोरेज, रेफ्रिजरेटेड वैन,

राइपनिंग चैंबर, प्री-कूलिंग और प्रसंस्करण इकाइयों सहित लगभग 1.76 लाख अवसंरचना संबंधी इकाइयां स्थापित की गई हैं।

इरोड जिले के भवानी ब्लॉक में एफपीओ के लिए हल्दी को कमोडिटी के रूप में शामिल करते हुए, 10,000 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के गठन और संवर्धन के लिए दिनांक 18.03.2021 को पोइगाई फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड (एफपीसीएल) को केंद्रीय क्षेत्र स्कीम के तहत सहायता स्वीकृत की गई है। इस स्कीम के तहत, 25.00 लाख रुपए की लागत वाले क्लस्टर-आधारित व्यवसाय संगठन (सीबीबीओ) और 18.00 लाख रुपए की लागत वाले एफपीओ को अनुमोदित किया गया है। अन्य गतिविधियों के अलावा, एफपीओ हल्दी मूल्य संवर्धन उत्पादों जैसे हल्दी पाउडर, हल्दी हलवा और अचार आदि के क्षेत्र में कार्य कर रहा है। एफपीओ उपज के एकत्रीकरण के लिए किसानों को एकजुट करता है ताकि किसान बड़े पैमाने की किफायत का लाभ उठा सकें और सदस्य किसानों की सौदेबाजी करने की शक्ति को बढ़ाया जा सके।

भारत सरकार ने वर्ष 2023 में हल्दी के उत्पादन, विकास और मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देने; घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय खपत को बढ़ाने; हल्दी निर्यात के लिए अवसंरचना और लॉजिस्टिक्स का निर्माण और सुधार करने; तथा हल्दी क्षेत्र के समग्र विकास को सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की स्थापना की है।

मसाला बोर्ड को निर्यात संवर्धन और 53 अनुसूचित मसालों के निर्यात के लिए गुणवत्ता प्रबंधन के साथ-साथ इलायची के उत्पादन, अनुसंधान और घरेलू विपणन का अधिदेश प्राप्त है। मसाला बोर्ड, अपने "निर्यात विकास के लिए प्रगतिशील, अभिनव और सहयोगात्मक कार्यकलापों के माध्यम से मसाला क्षेत्र में स्थिरता (स्पाइस्ड)" स्कीम के तहत, इरोड के उत्पादकों सहित हल्दी उत्पादकों के लिए फसल कटाई के बाद की अवसंरचना, मूल्य संवर्धन, भंडारण, निर्यात सुविधा और बाजार संबंधों को मजबूत करने के लिए कई उपाय कर रहा है। इन उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ हल्दी बॉयलरों और पॉलिशरों की स्थापना के लिए सहायता; जैविक प्रमाणन प्राप्त करने और आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को बनाए रखने के लिए समूहों को सहायता; क्रेता विक्रेता बैठकों का आयोजन; और फसल कटाई के बाद सुधार संबंधी प्रथाएं, खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता अनुपालन पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम शामिल हैं। इसके अलावा, बोर्ड की गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशालाएं इस क्षेत्र को विश्लेषणात्मक सेवाएं प्रदान करती हैं, जिसमें प्रमुख निर्यात गंतव्यों के लिए हल्दी के निर्यात कंसाइनमेंट का परीक्षण और मंजूरी शामिल है।

हल्दी के विकास को भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा भी एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच), राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई), परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई), प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई), प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई), प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन (एनआरएम), मृदा स्वास्थ्य कार्ड, ई-राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-एनएएम) आदि जैसे प्रमुख कार्यक्रमों के माध्यम से भी सहायता प्रदान की जा रही है। एमआईडीएच के तहत, भारत सरकार द्वारा तमिलनाडु सहित विभिन्न राज्य सरकारों के अधीन स्थापित राज्य बागवानी मिशनों के माध्यम से कई उत्पादन-उन्मुख कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं। एमआईडीएच में विपणन अवसंरचना और मशीनीकरण के निर्माण के लिए विशेष घटक हैं, जिसमें हल्दी को भी शामिल किया गया है। राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-एनएएम) भौतिक कृषि उपज बाजार समितियों (एपीएमसी) को वर्चुअली एकीकृत करता है। यह प्लेटफॉर्म किसानों को पारदर्शी ऑनलाइन बोली, बेहतर मूल्य खोज और बिक्री संबंधी आय का सीधे उनके बैंक खातों में भुगतान के माध्यम से खरीदारों के एक बड़े समूह तक पहुंच प्रदान करता है। यह प्लेटफॉर्म देश भर के खरीदारों को ऑनलाइन बोली में भाग लेने में सक्षम बनाकर अंतर-राज्यीय व्यापार को भी सुगम बनाता है। दिनांक 30 जून, 2026 तक की स्थिति के अनुसार 1.89 करोड़ किसान और 2.78 लाख व्यापारी ई-एनएएम पर पंजीकृत हैं। ई-एनएएम पर अंतर-राज्यीय व्यापार वर्ष 2018-19 के 563 मीट्रिक टन (37 लाख रुपए) से बढ़कर वर्ष 2025-26 में 83.95 करोड़ रुपए मूल्य के 28,566 मिलियन टन संचयी अंतर-राज्यीय व्यापार सहित 2,984.3 मीट्रिक टन (14.28 करोड़ रुपए) हो गया है।
